


16/9
22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील
अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार
आवाज लगवाने के बावजूद सायं 5.00
बजे तक वादी एवं वादी वकील में से
कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम
पैरवी में खारिज हो चुका है। मूलवाद का
निस्तारण हो जाने से प्रां.पत्र 212 RTA Act
का कोई अर्थव्यय नहीं रहता है।

अतः प्रां.पत्र 212 RTA Act की
कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम
की जावे। संलग्न मूलवाद है।


S D O